

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति

2017 – 2022

अनुक्रमणिका

- 1 परिचय
- 2 परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य
- 3 विभाग की महत्वाकॉक्षी योजनायें
- 4 सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना विकास
- 5 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ० जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन
- 6 स्टार्ट—अप्स के लिए प्रोत्साहन
- 7 शब्दावली

परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सॉफ्टवेयर विकास तथा सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र में भारत की सफलता विश्व स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है। राष्ट्रीय घरेलू सकल उत्पाद में आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग का उच्चतम, लगभग 9.3 प्रतिशत योगदान है। भारत, 4750 से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयों सहित, वैश्विक रूप से तीसरा बड़ा स्टार्ट-अप हब बन चुका है। भारत आई.टी.-बी.पी.एम. तथा स्टार्ट-अप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाता रहा है। इस दिशा में, उत्तर प्रदेश द्वारा आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग तथा स्टार्ट-अप परितंत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु इन्फास्ट्रक्चर तथा मानव शक्ति के विकास तथा प्रभावी नीतिगत उपायों पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का ध्येय परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्भावनाओं का दोहन करना है, जिसका लाभ पर्याप्त रोजगार सृजन, नव-प्रवर्तन तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के रूप में प्राप्त हो सके।

एक समर्थक नीतिगत वातावरण का सृजन तथा इन नीतियों को धरातल पर लाने के लिए सक्रिय पहल करके राज्य सरकार ने एक असाधारण परिवर्तन की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश ने जुड़वा नगरों नॉयडा तथा ग्रेटर नॉयडा को अग्रणी सॉफ्टवेयर तथा स्टार्ट-अप हब्स के रूप में विकसित किया है। विकास के लाभ का विस्तार एक औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप में होने से, चहुँमुखी विकासात्मक कार्यों का सर्वाधिक लाभ सोपान-2 एवं सोपान-3 के नगरों को प्राप्त होगा। एक अत्याधुनिक आईटी सिटी की स्थापना पी.पी.पी. मॉडल पर लखनऊ में की जा रही है। पुनः आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इत्यादि जैसे नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है।

नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लक्ष्य तथा उत्तर प्रदेश में युवाओं को ‘‘रोजगार आकॉक्षी’’ के बजाय ‘‘रोजगार प्रदाता’’ बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशंसनीय प्रयास किये गये हैं। केवल उत्तर प्रदेश के स्टार्ट-अप्स के लिए वित्तीय पहुँच सुगम बनाने के लिए रु 1000 करोड़ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना की जा रही है। स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों तथा नव-प्रवर्तकों के लिए आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी.-बी.एच.यू., आई.आई.एम. लखनऊ (नॉयडा) तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों में इन्क्यूबेटर्स विकसित किये गये हैं। भारत में स्टार्ट-अप कॉर्पोरेशन को उत्प्रेरित करने के लिए देश के विशालतम् इन्क्यूबेटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में किए जाने की परिकल्पना की गई है।

डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना के अनुरूप, जन सामान्य केन्द्रित सभी शासकीय सेवाओं की ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत सिंगिल विन्डो व्यवस्था आरम्भ करके राज्य सरकार ने गवर्नेन्स और सर्विस-डिलीवरी के क्षेत्र में ऊँची छलौंग लगाई है। 60,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा नागरिकों को जी2सी / बी2सी सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्य-प्रक्रिया में डिजिटल पारदर्शिता पर दृढ़ रहते हुए, परिपाटी से हट कर, समस्त शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है। भारत नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों को 2018 तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल से जोड़ दिया जायेगा।

ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के द्वारा व्यवसाय मित्रवत् वातावरण का सृजन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग बन्धु में सिंगिल विन्डो तंत्र स्थापित किया गया है। पुनः निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्ट-अप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की गई है। सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक कन्सल्टेण्ट – के. पी.एम.जी. को नीति कार्यान्वयन इकाई में सहयोगी बनाया गया है।

परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य

परिकल्पना

“रोजगार सृजन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, नवप्रवर्तन तथा उत्कृष्ट जीवन शैली के प्रति ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना।”

लक्ष्य

राज्य का लक्ष्य है :

- उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के क्षेत्र में भारत के अग्रणी निवेश गन्तव्य (investment destination) के रूप में स्थापित करना।
- निवेशकों, उद्यमियों तथा स्टार्ट-अप्स की संवृद्धि हेतु एक अनुकूल वातावरण का सृजन।
- रोजगार अवसरों को उत्पन्न करना तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में औचित्यपूर्ण तथा संतुलित रूप में विकास

उद्देश्य

- अनुकूल, व्यवसाय मित्रवत् पहल तथा प्रगतिशील सुधारों द्वारा उत्तर प्रदेश में आकर्षक व्यवसायिक परिवेश का विकास एवं प्रोत्साहन
- मानव संसाधन का विकास को प्रोत्साहन तथा आईटी सिटी/आईटी पार्क्स, सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.एम. इकाइयों के द्वारा इन्फास्ट्रक्चर का विकास
- स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स को प्रोत्साहन देकर उद्यमिता तथा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन तथा पोषण प्रदान करना।
- समाज के सभी वर्गों के हितार्थ, नागरिक केन्द्रित सेवाओं के सृजन द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण।

विभाग की महत्वाकॉक्षी योजनायें

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की चिन्ताओं, मुद्दों तथा शिकायतों को यथा—सम्भव कम से कम समय में दूर करने के लिए उन तक पहुँच बनाने का एक प्रयास है। पुनः हेल्पलाइन प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

ई—टेण्डरिंग: सभी विभागों में ई—टेण्डरिंग प्रणाली लागू करके क्य—प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बना दिया गया है। यह सुधार, शासन और निजी क्षेत्र के लिए निष्पक्षता, जवाबदेही और स्वरक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करेगा।

आईटी सिटी: लखनऊ में 100 एकड़ भू—क्षेत्र पर एक अत्याधुनिक आईटी सिटी स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रु 1500 करोड़ का निवेश अनुमान तथा 75,000 व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य है। यह ‘वॉक—टू—वर्क’ मॉडल पर आधारित है। कुल भूमि का 60 प्रतिशत कोर क्षेत्र के कार्यकलापों तथा 40 प्रतिशत नॉन—कोर क्षेत्र के कार्यकलापों हेतु निर्दिष्ट है।

आईटी पार्क्स: सोपान—2 तथा सोपान—3 के नगरों में रोजगार—साधनों को बढ़ावा देने के लिए आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा बरेली में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। राज्य के सूचना—प्रौद्योगिकी निर्यात की वृद्धि में भी इनका उल्लेखनीय योगदान होता है। उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क्स के प्रोत्साहन हेतु पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

इन्क्यूबेटर्स: युवाओं में नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता उत्पन्न करने के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी.—बी.एच.यू., आई.एम. लखनऊ (नॉयडा) तथा कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर जैसे अग्रणी संस्थानों का सहयोग लिया गया है। देश का विशालतम् इन्क्यूबेटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

नागरिक सेवा डिलीवरी : ई—सेवाओं की व्यवस्था को इंटरनेट तथा जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई—सुविधा आदि जैसे कॉमन सर्विस डिलीवरी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया जा रहा है।

मिशन मोड परियोजनाएँ: उत्तर प्रदेश शासन मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) जैसेकि ई—डिस्ट्रिक्ट, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS), तथा पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य विभागों की परियोजनायें सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं।

भारतनेट: भारतनेट तथा नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) फेमवर्क पर बल देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में संचार एवं संयोजकता में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार सक्रिय भूमिका में है। यूपीस्वान (UPSWAN) संयोजकता का भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक विस्तार किया जायेगा।

राज्य डाटा केन्द्र (State Data Centre) 2.0 : आई.एस.ओ. 27001 यूपी—एसडीसी (स्टेट डेटा सेंटर) को केंद्रीय डेटा कोष के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे राज्य के समस्त विभाग पब्लिक डोमेन सूचनाओं के 24x7 के, पूर्ण क्षमता से उपयोग के लिए जुड़े हैं। राज्य द्वारा एक केंद्रीकृत हरित डेटा सेंटर (एसडीसी 2.0) विकसित करने की योजना है जो क्लाउड रेडी होगा तथा "पे ऐज पर यूज" मॉडल पर आधारित होगी।

ई—आफिस: परिचालनात्मक निपुणता में सुधार, प्रतिवर्तन काल में कमी, पारदर्शिता तथा शासकीय विभागों की जवाबदेही में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों में ई—आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स: सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स / स्टेट ई—मिशन टीम प्रदेश में आई.टी./ ई—गवर्नेन्स पहल को लागू करने हेतु केन्द्रीय निकाय है। सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स / स्टेट ई—मिशन टीम द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप नई पहल आरम्भ की जायेगी।

इण्डिया बी.पी.ओ योजना: सरकार द्वारा इण्डिया बी.पी.ओ. योजना के अन्तर्गत बी.पी.ओ. की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बी.पी.ओ. की स्थापना के लिए अतिरिक्त पूँजी उपादान सहायता तथा प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

एम—गवर्नेन्स: सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन्स तथा नागरिक सेवाओं के माध्यम से सभी शासकीय सेवाओं हेतु एम—गवर्नेन्स को प्रोत्साहन दिया जायेगा। शासकीय विभागों द्वारा विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन्स यथा एम—सेहत, एम—स्वास्थ्य, यूपीवन, यूपी—बस इत्यादि, विकसित और कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

वाई—फाई : राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, व्यावसायिक केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वाई—फाई समर्थ बनाया जाना सुनिश्चित करेगी।

साइबर सिक्योरिटी : साइबर आक्रमण तथा साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इन चुनौतियों का मुकाबले के लिए उपयुक्त उपाय किये जायें। प्रदेश सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी तथा एक साइबर सिक्योरिटी प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। सरकारी प्रयासों को सुदृढ़ता देने के लिए एक समर्पित साइबर सिक्योरिटी नीति बनाई जायेगी।

डिजिटल पेमेन्ट : भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेन्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में आई.टी. रेडीनेस, पेमेन्ट इन्फास्ट्रक्चर तथा क्षमता विस्तार जैसे सुधार किये जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश में 312 करोड़ डिजिटल ट्रॉजेक्शन्स का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना विकास

सूचना प्रौद्योगिकी नगरों / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स को प्रोत्साहन

अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना जैसी उत्कृष्ट सू0प्रौ0 अवस्थापनाओं का सृजन और उन्नयन ताकि सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों हेतु 'रेडी टू मूव इन' अवस्थापना सुविधाओं पर बल दिया जा सके। प्रदेश में आईटी इकाइयों के निर्माण आधार को सुविधाप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स (6 मॉडल) हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

आईटी पार्क्स की स्थापना हेतु विकास-मॉडल

- विकास एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से आईटी पार्क का निर्माण कराया जायेगा।
- विकास एजेंसी द्वारा आईटी पार्क का विकास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया(एस.टी.पी.आई.)के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोजॉजी पार्क (एस.टी.पी.) योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है।
- विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी पार्क का विकास निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) से डिजाइन, बिल्ट, फाइनेन्स, ऑपरेट एण्ड ट्रॉन्सफर (डी.बी.एफ.ओ.टी) के आधार पर किया जा सकता है।
- आईटी पार्क की रूपरेखा, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन तथा रख-रखाव के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा निजी सहयोगी के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्यम अथवा एस.पी.वी. स्थापित किया जा सकता है।
- प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम और समकक्ष राजकीय संस्थान के सहयोग से
- निष्पक्ष चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित, निजी क्षेत्र के निवेशकों/विकासकर्ता के सहयोग से

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर)

सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग (ईएचएम) उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र नीति-2008 (ITIR Policy-2008) अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएगी। सम्प्रति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आईटीआईआर की स्थापना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

1 वित्तीय प्रोत्साहन

1.1 ब्याज उपादान

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु 1.00 करोड़ होगी।

1.2 स्टाम्प शुल्क

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के उपयोगार्थ भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्य किये जाने या पट्टे पर लिये जाने पर स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबन्ध सहित शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि 3 वर्षों के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये।

1.3 विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति

- नई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाईयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि तक, विद्युत ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आई.एस.ओ. 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आई.एस.ओ. 2000, सी.ओ.पी.सी., ई.एस.सी.एम. प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25,00,000/-, अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय-समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

1.5 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

- परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5 वर्षों

तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

1.6 रिकूटमेंट सहायता

- सोपान-2 (Tier-II) और सोपान-3 (Tier-III) नगरों में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती हेतु रु 20,000 प्रति कर्मी की दर से (न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर रोजगार की दशा में) रिकूटमेंट सहायता

1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन

- शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रु 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

2 अन्य प्रोत्साहन

2.1 भूमि हेतु प्राविधान

- प्रति एकड़ भूमि, न्यूनतम 200 कर्मी रोजगार उपलब्ध कराने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाई को, प्रति कर्मी रु 15,000/- की दर से भूमि की लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जायेगी। प्रदत्त रोजगार निरन्तर न्यूनतम एक वर्ष के लिए होना आवश्यक है। यह प्रतिपूर्ति सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्य की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेकटर दरों पर प्रदान की जायेगी। इस छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी।
- फ्लोर एरिया रेशियो (FAR): आईटी सिटी और आईटी पार्क सहित, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा/ बी.पी.एम. इकाइयों को न्यूनतम फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) तीन तथा अतिरिक्त एक (क्य करने योग्य, बिल्डिंग बाई लाज में तत्समय लागू नियमों के आधार पर) पर किया जाना अनुमन्य होगा।
- ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/ बी0पी0ओ0 इकाईयां जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भूमि-उपयोग वर्गीकरण (**Land use classification**) के बावजूद, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले क्षेत्र, हरित पट्टी तथा कृषि भू-उपयोग को छोड़कर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

3 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)

- 'रेडी टू मूव इन' सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान-2 व सोपान-3 के नगरों में 05 एकड़ के क्षेत्र से अधिक को आईटी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए विकासकर्ता को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

- सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा मेंगा निवेश हेतु व्याज उपादान, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण उपादान, भूमि लागत की प्रतिपूर्ति इत्यादि के रूप में केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति उपरान्त मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है।
- मेंगा परियोजनाओं हेतु केस-टू-केस आधार पर निम्नानुसार अनुमत्य होगे:—

पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक		
श्रेणी	सोपान-1	सोपान-2 व 3
मेंगा इकाई	रु 100 से रु 200 करोड़ का निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों को रोजगार	रु 50 से रु 100 करोड़ का निवेश अथवा 1000 व्यक्तियों को रोजगार
मेंगा प्लस इकाई	रु 200 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 5000 व्यक्तियों को रोजगार	रु 100 करोड़ से अधिक का निवेश अथवा 2000 व्यक्तियों को रोजगार

4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

- 25 केवीए से कम क्षमता के विद्युत जनरेटर सेट्स, सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग के उपयोगार्थ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से मुक्त होंगे।
- विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत आवेदन करने पर 05 वर्ष के अन्दर एक बार निरीक्षण करने का प्राविधान किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों (जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जा सकता है) पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:—

I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)

- II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
- III. दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
- IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
- V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
- VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
- VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

4.1 24 x 7 परिचालन

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे – (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति होगी।

4.2 औद्योगिक टैरिफ की अनुमन्यता

- सभी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों पर औद्योगिक पावर टैरिफ अनुमन्य होंगे।

5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन (Additional Incentives available to MSME IT/ITeS Units)

5.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्कर्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रु 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5.2 विद्युत उपादान

- एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयाँ, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, जिसकी अधिकतम सीमा रु 30 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

6 बुन्देलखण्ड तथा पूर्वाचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन

उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड तथा पूर्वाचल क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी:-

6.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट

- बुन्देलखण्ड/पूर्वाचल क्षेत्र में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्कर्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि रु 20 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज रेन्टल चार्जेंस की 50 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

6.2 विद्युत उपादान

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/बी.पी.ओ. इकाइयों व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत उपादान जिसकी अधिकतम सीमा रु 50 लाख होगी, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

6.3 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन स्कीम

- राज्य सरकार द्वारा बी.पी.ओ. इकाइयों को इण्डिया बी.पी.ओ. प्रोमोशन योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक सीट हेतु निहित पूँजीगत व्यय पर, 50 प्रतिशत पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

7 डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ परिवेश के निर्माण हेतु प्रत्येक वर्ष 'डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन' आयोजित किया जायेगा। यह आयोजन प्रदेश में डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण हेतु विभिन्न हितधारकों के मध्य संवाद, विचार-विमर्श तथा सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश स्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उ0प्रौ0 सरकार द्वारा डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

8 पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को नोडल संस्थान द्वारा पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे। उक्त प्रमाण पत्र नोडल संस्थान/नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा परीक्षणोंपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इकाइयों को नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन शीघ्र मिल सके।

स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन

स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

8 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु “स्टार्ट-इन उत्तर प्रदेश (START-IN-UP)”

राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds – Startup Entrepreneurs) मॉडल का उपयोग करते हुए स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स तथा वेन्चर कैपिटल फण्डिंग स्टार्ट-अप को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

IN - इन्क्यूबेटर्स

8.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

- राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेटर की परिकल्पना सहित, इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर का विकास प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाना परिलक्षित है।
- उत्तर प्रदेश में शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन-प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- मेजबान संस्थानों का चयन यथोचित पड़ताल के पश्चात, केस-टू-केस आधार पर किया जायेगा।

इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों की स्थापना हेतु निम्न प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है:-

- **पूँजीगत उपादान**: शासकीय मेजबान संस्थानों की स्थिति में टेक्नोलॉजी इन्फास्ट्रक्चर सेट-अप के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा अन्य मेजबान संस्थानों की स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम धनराशि रु 1 करोड़ होगी। यही सीमा विद्यमान इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु लागू होगी। यदि उपादान धनराशि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस पर सशक्त समिति द्वारा केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- **परिचालन व्यय** : इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रु 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- **स्थान के लीज/रेन्टल में छूट** : इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक जिस स्थान पर परिचालन-रत हों उसके लीज/रेन्टल शुल्क के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जिसकी सीमा रु 10

लाख प्रति वर्ष होगी, 5 वर्ष अथवा स्व—निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- **अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति:** इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक, भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्य किये जाने या पट्टे पर लिये जाने हेतु, प्रथम ट्रॉजेक्शन पर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।
- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति :** पात्र इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
- **मेन्टर्स के लिए मानदेय :** इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक से सम्बद्ध, प्रति परामर्शदाता/उपदेशक (mentors) रु 2 लाख मानदेय प्रदान किया जायेगा। यह सहायता कोचिंग, पथ—प्रदर्शन, यात्राओं, अस्थायी—आवास इत्यादि व्ययों के निमित्त होगी। इसके अतिरिक्त कोच (Coach) का भी चयन किया जायेगा जो कि स्थानीय परितंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो।
- **विशेषज्ञों का पैनल :** एक विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध किया जायेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विधिक, वित्तीय, निवेशक, विपणन एवं लेखा इत्यादि से होगे। इनके द्वारा दी गयी सेवायें स्टार्ट—अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

उत्कृष्टता के केन्द्र

8.2 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन

- राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centers of Excellence) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फास्ट्रक्चर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। उत्कृष्टता के केन्द्र शोध एवं अनुसंधान के अनुकरणीय मानदण्डों तथा इन्क्यूबेशन के अनुभव से युक्त, एवं परिपक्व होंगे तथा उद्यमिता के पोषण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- उत्कृष्टता के केन्द्रों द्वारा केन्द्र—बिन्दु के क्षेत्रों (focus areas) जैसे कि बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इन्टरनेट से जुड़े कार्यों, मशीन—लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence), साइबर सिक्योरिटी, क्लीन—टेक, एजू—टेक, एग्री—टेक, हेल्थ—टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन—प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से की जा सकती है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उत्कृष्टता के केन्द्र को अधिकतम 5 वर्ष तक अधिकतम रु 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी। प्रत्याशा है कि 5 वर्ष की समाप्ति तक उत्कृष्टता का केन्द्र स्व-निर्भर हो जायेगा।
- उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन पर निर्णय सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा। सरकार द्वारा धनराशि/प्रोत्साहनों का अवमुक्त किया जाना उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

FU – फण्ड ऑफ फण्ड्स

8.3 स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधन

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रु 1000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जायेगी।
- यह निधि फण्ड ऑफ फण्ड के रूप में होगी, इस मॉडल के अन्तर्गत निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा।
- विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा “डॉटर फण्ड्स” (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जायेगा।
- सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी।
- फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

SE – स्टार्ट-अप उद्यमी

8.4 स्टार्ट-अप्स तथा उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन

स्टार्ट-अप्स की परिभाषा

निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाली किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगा:-

- संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो

- स्टार्ट-अप्स को पारिभाषित करते हुए समय—समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

टिप्पणी: कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

स्टार्ट-अप्स का कार्य-क्षेत्र

स्टार्ट-अप्स को सभी क्षेत्रों (sectors) यथा (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट से जुड़े कार्य, 3D प्रिंटिंग, बिग डाटा इत्यादि) में कार्य करने की छूट होगी तथा उन्हें प्रौद्योगिकी से समर्थित होना आवश्यक है।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति करने वाले तथा उत्तर प्रदेश में अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों में कार्यरत स्टार्ट-अप्स, निम्नलिखित प्रोत्साहन के पात्र होंगे:—

- **परिकल्पना स्तर (Idea Stage):** परिकल्पना स्तर पर स्टार्ट-अप्स को एक वर्ष की अवधि तक रु 15,000/- प्रतिमाह का भरण—पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- **प्रायोगिक स्तर (Pilot Stage):** स्टार्ट-अप्स को रु 10 लाख की सीमा तक की सहायता, विपणन/व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उनके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी।
- **पेटेन्ट फाइलिंग लागत (Patent Filing cost):** इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट-अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रु 2,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

8.5 स्टार्ट-अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स हेतु गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

- विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रदेश स्थित स्टार्ट-अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों (समय—समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत आवेदन करने पर 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट का प्राविधान किया गया है तथा उन्हें निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व—प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:—
 - कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
 - मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
 - दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
 - संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
 - पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)

vi.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)

vii.

सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

- स्टार्ट-अप्स को महिलाओं सहित, सभी तीन पालियों मे कार्य करने की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि ऐसी इकाइयों द्वारा, लागू विधान के अन्तर्गत कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ, कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्धारित सावधानी रखी जाये तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

8.6 उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मेला तथा उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक त्रैमास स्टार्ट-अप मेला आयोजित किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार/विभागों/अभिकरणों/संगठनों इत्यादि द्वारा इंगित कठिनाइयों (दिन-प्रतिदिन आधार पर आने वाली चुनौतियों) के अभिनव समाधान सुझाने हेतु स्टार्ट-अप्स को आमंत्रित किया जायेगा।
- स्टार्ट-अप मेलों के आयोजन का ध्येय छात्रों और उद्यमियों को देश और प्रदेश की विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है। पुनः इसका उद्देश्य उनमें उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित और उसका पोषण करना है।
- चयनित स्टार्ट-अप्स को उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार दिये जायेंगे, साथ ही सम्बन्धित विभाग में, उनके समाधानों के समय-बद्ध रूप से कियान्वयन हेतु अधिकतम रु 50 लाख तक का वित्तपोषण किया जायेगा।
- चयनित स्टार्ट-अप के कार्य-सम्पादन का अनुश्रवण एवं आकलन राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों/संगठनों द्वारा नियमित आधार पर किया जायेगा।
- चयनित स्टार्ट-अप्स, उ०प्र० स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सहायतित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों में 2 वर्ष तक निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

8.7 अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग

- स्टार्ट-अप वातावरण के सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट-अप चैलेन्जेस, हैकथॉन्स, बूट कैम्पस, कार्यशालाओं, बिजनेस प्लान स्पर्द्धाओं, सभाओं/ सम्मेलनों का आयोजन एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभागिता द्वारा तथा ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट-अप्स को प्रायोजित करके तथा अन्य विभिन्न साधनों से उत्तर प्रदेश को उद्यमी-मित्रवत् गन्तव्य के रूप में प्रवर्तित किया जायेगा।

- ऐसे मंचों पर प्रतिभाग/आयोजन हेतु शासन द्वारा प्रति इकाई अधिकतम रु 50,000/- की प्रायोजन—सहायता प्रदान की जायेगी।
- पुनः स्टार्ट— अप्स उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों के सामान्य स्थानों जैसेकि सभा—कक्ष, बैठक—कक्ष, शोध एवं विकास सुविधाओं के अधिकारी होंगे। इसको बढ़ावा देने के लिये स्टार्ट—अप्स स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जायेगे।

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 स्टार्ट—अप नीति को केन्द्रीय सरकार के अनुरूप रखने के लिए समय—समय पर संशोधन अंगीकृत एवं अधिसूचित किये जायेंगे।

8 नीति कार्यान्वयन इकाई

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट—अप नीति के प्रभावी और सफल कियान्वयन जैसेकि स्टार्ट—अप्स, इन्क्यूबेटर्स, वेन्चर कैपिटलिस्ट्स, स्टार्ट—अप कॉर्पस फण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के बारे में निर्णय लिये जायेंगे। नीति कार्यान्वयन इकाई उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों/ इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति एवं अनुमोदन प्रदान किये जायेंगे। उनकी शिकायतों का सामयिक निराकरण तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जायेगा। शिकायत का समाधान यदि नीति कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर नहीं हो पाता तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- नीति कार्यान्वयन इकाई में बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट—अप नीति के कार्यान्वयन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई समिति तथा सशक्त समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे। पी.आई.यू. के अन्य प्राथमिक उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत सम्भावित निवेशकों को सहयोग/सहायता, शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison), उद्योगों तथा उद्योग—संघों, उद्यमियों एवं स्टार्ट—अप्स से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations, Entrepreneurs and Start-ups) तथा नीति की ब्रॉण्डिंग एवं विपणन (Branding and Marketing of Policy) समिलित है।

टिप्पणी: सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों, स्टार्ट—अप्स, इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश में मेजबान संस्थानों को उत्साहित करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी कार्यदायी संस्था नामित की जायेगी जोकि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट—अप नीति के कियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था होगी।

9 सशक्त समिति (Empowered Committee)

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति की प्रगति पर दृष्टि रखेगी और उसका अनुश्रवण करेगी। इस समिति में अन्य सहित कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आवास एवं नगर विकास तथा अन्य विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।
- सशक्त समिति द्वारा केस-टू-केस आधार पर निवेश हेतु अनुमोदन, आईटी सिटी/आईटी पार्क्स/मेगा निवेश/इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय की स्थापना, फण्ड ऑफ फण्ड्स की स्थापना तथा निवेशकों, स्टार्ट-अप्स इत्यादि की शिकायतों पर विचार कर संस्तुति/निर्णय दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति से शिथिल किया जा सकेगा।

नीति की अवधि

यह नीति उसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष के लिए वैध है तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 तथा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 सहित पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों को अवक्रमित करती है।

शब्दावली (Glossary)

1. ‘सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग’ के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयों/ कम्पनियों इत्यादि। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से आशय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्श/ ‘एनीमेशन (animation)’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ‘गेमिंग (gaming)’ तथा ज्ञान-आधारित अन्य औद्योगिक इकाइयों (knowledge industry Units)।
2. सॉफ्टवेयर सेवाओं में निहित है :-
 - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
 - प्रचालन विधि – Operating System
 - ‘मिडिलवेयर’ / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
 - उक्त सॉफ्टवेयर में किसी अवयव (component) स्तरीय विकास
 - इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- प्रणाली एकीकरण कार्य (System Integration work) / सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
 - सॉफ्टवेयर में कोई रथानीय (Localization) एवं SCM कार्य
 - विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)
3. ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ – इनका आशय उस सेवा से है जो सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती हैं और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हो जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:-

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी-सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

4. **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में** वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉस्किप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट / एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:-

- बिजनेस प्रोसेस प्रबन्धन (Business Process Management)
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप / सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)

- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Management)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:—
 - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
 - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
 - सी0आर0एम0 — ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
 - एम0आर0एम0 — (Marketing Resources Management)
 - तकनीकी सहायता (Technical Support)
 - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
 - वायस — इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड — दोनों
 - डेटा — इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड — दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

5. नगरों का वर्गीकरण (Classification):—

सोपान -1 (Tier I) : नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान -2 (Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर विशेषतया यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र सहित

सोपान -3 (Tier III) : 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

6. एम.एस.एम.ई. (MSME) ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/ सूप्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनियों की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में निवेश कम होता है। अतः भारत सरकार की एम.एस.एम.ई. परिभाषा से इसमें परिवर्तन है, जिससे कि कम्पनी का स्तर उसके राजस्व से निर्धारित किया जा सके।

7. सरकारी अभिकरण (State Agencies)

- विकास प्राधिकरण (Development Agencies)
- आवास परिषद (Housing Boards)
- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण - LIDA (Lucknow Industrial Development Authority)
- उ0प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)
- सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण

8. स्टार्ट-अप (Start-Up)

स्टार्ट-अप्स को पारिभाषित करते हुए समय—समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 501 (ई) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को पूरा करने वाली संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

शर्तें निम्नवत् हैं :—

- (क) यदि वह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित हुई हो (जैसाकि कम्पनी अधिनियम 2013 में पारिभाषित है) अथवा एक साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अन्तर्गत पंजीकृत) अथवा एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 के अन्तर्गत) के रूप में भारत में पंजीकृत हो, तथा
- (ख) अपने निगमन/पंजीयन की तिथि से सात वर्षों तक, तथापि बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स निगमन/पंजीयन की तिथि से 10 वर्षों तक होना चाहिए, तथा
- (ग) यदि अपने निगमन/पंजीयन की तिथि से किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका व्यवसाय रु 25 करोड़ से अधिक न हुआ हो, तथा
- (घ) यदि वह किसी नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद अथवा प्रक्रिया अथवा सेवा में सुधार के क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा वह उच्च रोजगार सृजन अथवा धन सृजन की सम्भावनाओं से युक्त, विस्तार के योग्य व्यवसाय का मॉडल हो।

प्रतिबन्ध यह है कि पहले से ही विद्यमान किसी व्यवसाय के विखण्डन अथवा पुर्नसंरचना के फलस्वरूप निर्मित ऐसी संस्था (entity) को 'स्टार्ट-अप' के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (च) स्टार्ट-अप उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो।

- 9. इन्क्यूबेटर्स (Incubators) :** इन्क्यूबेटर्स (नवउद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र) स्टार्ट-अप्स को प्लग एण्ड प्ले सुविधायें, बैठक / सभाकक्ष / कार्यालय स्थान तथा साझा प्रशासनिक सेवायें, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा इत्यादि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इन्क्यूबेटर्स मेन्टर्स, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, विधिक सेवायें, लेखा सेवायें, तकनीकी सहायता, उच्चतर शैक्षणिक संसाधन इत्यादि जैसी यथासम्भव सेवायें राज्य / केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्टार्ट-अप्स को उपलब्ध करायेंगे।
- 10. आईटी सिटी:** आईटी सिटी हेतु 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग 60 : 40 के अनुपात में प्रोसेसिंग तथा नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयाँ जैसेकि सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ, बी.पी.ओ., के.पी.ओ. इत्यादि होती हैं। नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र आवासीय सुविधाओं, जनोपयोगी कार्यालयों / सुविधाओं / वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षण तथा मुक्ताकाशी रूप में होता है।
- 11. आईटी पार्क :** आईटी पार्क का निर्माण न्यूनतम लगभग 15000 वर्गमीटर फ्लोर सहित किया जाता है। इसमें जनोपयोगी कार्यालयों / सुविधाओं का होना आवश्यक नहीं है। आवंटन योग्य कुल क्षेत्र का 75 प्रतिशत क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए होता है। आईटी पार्क की अधिकांश सुविधायें जैसेकि आप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी, वाई-फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फोर्मेंसिंग इत्यादि आईटी सिटी की भौति ही होती हैं। आईटी पार्क आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए समर्पित होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

इनके साथ

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में

पता 10—अशोक मार्ग, लखनऊ—226 001

दूरभाष नं० : 0522—2286808, 2286809, 2286812

ई—मेल: info@itpolicyup.gov.in

वेबसाइट : itpolicyup.gov.in

ध्यानकर्णण:

यह Uttar Pradesh Information Technology & Start-up Policy 2017 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रूपान्तरण है। अतएव विषय—वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय—वस्तु ही मान्य होगी।